राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27(41) / ग्राविवि–5 / आवास / मीटिंग / 2015–16 जयपुर, दिनांक 16 अप्रैल, 2015

बैठक कार्यवाही विवरण

श्रीमान शासन सचिव महोदय ग्रामीण विकास की अध्यक्षता में दिनांक 02.04.2015 को इन्दिरा आवास योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना की प्रगति एवं योजनान्तर्गत आ रही कठिनाईयों के संबन्ध में बैठक आयोजित की गई।

बैठक में इन्दिरा आवास योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, इन्दिरा आवास योजना के साथ अन्य योजनाओं के कन्वरजेन्स, मॉनिटरिंग एवं वर्ष 2015–16 की कार्ययोजना के संबंध में चर्चा की गई।

अधीक्षण अभियंता आवास द्वारा योजनान्तर्गत प्रगति में सुधार हेतु वर्ष के दौरान उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन/निर्देशानुसार किये गये प्रयास के बारें में निम्नानुसार संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की।

वित्तिय प्रगति :–

- माह फरवरी 2014 तक व्यय राशि 545 करोड के तुलना में चालू वर्ष के दौरान माह फरवरी 2015 तक 587.56 करोड रूपये व्यय किये जा चुके है।
- वर्ष 2013–14 में कुल 676.8 करोड रूपये व्यय किये गये थे जबकि इस वर्ष के दौरान प्रगति के आधार पर अनुमानतः राशि रूपये 800 करोड़ का व्यय संभावित है जो कि गत वर्ष से 125 प्रतिशत है।
- योजनान्तर्गत भारत सरकार को निर्धारित अवधि 31 दिसम्बर से पूर्व दिसम्बर माह के प्रथम व द्वितीय सप्ताह में ही सभी जिलों के द्वितीय किश्त के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत कर दिये गये जिसके क्रम में कुल प्रावधित राशि 707.21 करोड के विरूद्ध राज्य को 552.04 करोड़ रूपये जारी हो चुकेहै।
- शेष 9 जिलों यथा अजमेर, भीलवाडा, बांसवाडा, बारां, दौसा, प्रतापगढ, करौली, सिरोही एवं टोंक में भारत सरकार से द्वितीय किश्त अप्राप्त है।
- इस क्रम में राशि के अभाव में प्रगति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडे ऐसे 10 प्रभावित जिलों को अन्य **जिलों से 105.28 करोड़ की** राशि समय–समय पर **हस्तान्तरित** कराई गई।

योजनान्तर्गत प्रगति में सुधार हेतु किये गये प्रयास :–

- माह अगस्त 2014 में जिला उदयपुर व बांसवाडा में जांच व कम प्रगति के कारणों के विश्लेषण हेतु राज्य स्तर से दो दल भेजे गये।
- माह अगस्त 2014 में शासन सचिव की अध्यक्षता में वी.सी. की गई।
- माह सितम्बर 2014 में कम प्रगति वाले 11 जिलों में अन्य जिलों से अधीशाषी अभियन्ताओं के नेतृत्व में टीम बनाकर भिजवाई गई।

- माह अक्टुबर 2014 में प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में 6 जिलों यथा बांसवाडा, भीलवाडा, दौसा, करौली, उदयपुर व पाली जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ वी.सी. की गई।
- .माह दिसम्बर, 2014 में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई।
- माह दिसम्बर, 2014 में 10 जिलों में मुख्यालय व जिला स्तर से अधीशाषी अभियन्ताओं के नेतृत्व में टीम बनाकर भेजी गई।
- माह जनवरी 2015 में वर्ष 2015–16 की कार्य योजना जारी कर आगामी वर्ष का पंजीकरण के साथ–साथ पंचायत समिति स्तर पर लाभार्थियों का प्रशिक्षण आयोजित कराकर आवास अधिकार कार्ड वितरित कराये गये।
- इन प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान ही लाभार्थियों से देय किश्तों के प्रपत्र तैयार करत्वरित कार्यवाही के निर्देश दिये गये।
- माह मार्च 2015 में 6 प्रभावित जिलों में अन्य जिलों से प्रगति में सहयोग हेतु विशेष दल भेजे गये।
- योजनान्तर्गत आईईसी के तहत् समय–समय पर प्रदर्शनी में स्टॉल लगाई गई साथ ही आकाशवाणी, ई.टीवी व समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रसारण की कार्यवाही की जा रही है।

भौतिक प्रगतिः–

यहां यह उल्लेखनीय है कि आवासीय योजनाओं में स्वीकृत आवासों में से **वर्ष 2014–15 के दौरान 288850 आ**वास पूर्ण कराये गये है जो कि गत 3 वर्षो में(31.03.2014 को कुल पूर्ण आवास) **कुल अर्जित भौतिक उपलब्धि 2,71,219 से भी 17631 आवास** अधिक है। **योजनान्तर्गत वर्ष 2014–15 के दौरान ही उक्तानुसार गत वर्षो की औसत उपब्लिधि से 319.5 प्रतिशत अधिक है।**

शासन सचिव महोदय द्वारा योजना की प्रगति की समीक्षा उपरान्त निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये :–

1. वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के स्वीकृत आवासों में से अपूर्ण रहे सभी आवासों को जून 2015 तक पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये है। इस संबन्ध में लाभार्थी को अतिरिक्त सहायता देने हेतु नरेगा से स्वीकृति जारी कर अतिरिक्त लाभ दिया जा सकता है।
2. प्रगतिरत आवासो के लाभार्थियों का प्रशिक्षण आयोजित कर आवास अधिकार का कार्ड वितरित किये जावें।
3. जिला स्तर पर ई–मित्र कार्मिको को आवाससॉफ्ट का प्रशिक्षण दिये जाने के निर्देश दिये गये।
4. विभागीय आदेश 6/2014 दिनांक 30.03.2015 के द्वारा आवास योजना के उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्रों को सत्यापन करने हेतु संबन्धित ग्राम सेवक को अधिकृत किया गया है, की तर्ज पर ही नरेगा कन्वरजेन्स की मस्टरोल जे.टी.ए. के स्थान पर संबन्धित ग्राम सेवक को सत्यापित करने हेतु अधिकृत करने बाबत् आयुक्त मनरेगा को पत्र लिखने हेतु निर्देशित किया गया।

5. लाभार्थियो को सूचना उपलब्ध कराने की दृष्टि से बी.पी.एल. सूची को जिला स्तर से प्रकाशित समाचार पत्रों में विज्ञापन के द्वारा प्रकाशित करवाने की सम्भावना पर विचार करने हेतु निदेशित किया गया।
6. इन्दिरा आवास योजना अन्तर्गत एम.पी.आर. एवं आवास सॉफ्ट पर प्रदर्शित वित्तीय प्रगति में अन्तर होने के संबन्ध में चर्चा के उपरान्त जिलों में वित्तीय सलाहकार से वार्ता कर लेखाअधिकारियों की टीम गठित कर जिलों में भेजने के निर्देश दिये गये।
7. बैंको द्वारा मोबाइल–ऐप निरीक्षण तकनीक द्वारा आवासीय योजनाओं के निरीक्षण हेतु बैंको के प्रतिनिधियों से चर्चा कर उदयपुर संभाग के 1–2 पंचायत समितियों में पायलेट आधार पर दिये जाने की सम्भावना तलाशने के निर्देश दिये गये।
8. स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय के फोटो अपलोड करने की तर्ज पर आवास योजना में भी फोटो अपलोड किये जा सकते है के संबन्ध में स्वच्छ भारत मिशन के स्टाफ से चर्चा करने के निर्देश दिये गये।
9. वर्ष 2015–16 में अन्य चिन्हित वर्ग आवास योजना शुरू की जा रही है। इस संबन्ध में लाभार्थियों को इन्दिरा आवास योजना की तर्ज पर मनरेगा से दी जा रही अतिरिक्त सहायता,अन्य चिन्हित वर्ग हेतु देने के लिये मनरेगा आयुक्त को पत्र लिखे जाने के निर्देश दिये गये।

<u>बैठक सधन्यवाद सम्पन्न की गई।</u>

(के.के. शर्मा)
अधीक्षण अभियंता (ग्रावि)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री ग्रावि एवं परावि, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव ग्रावि एवं परावि, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त, राजस्थान।
5. प्रभारी अधिकारी (आवास)जिला परिषद समस्त, राजस्थान।

अधीक्षण अभियंता (ग्रावि)